

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौर

दिनांक फर्द अहकाम

५ ५
२५

प्राप्तवली पेश हुई। वादीगण वादीगण
 वकील उपस्थित नहीं। उत्तरवाक में वादीगण
 वादीगण व वादीगण वकील को वादीगण
 फिलवायी गयी। आवाज फिलवायी गयी।
 आवाज फिलवाये के बाद वादीगण
 वादीगण वकील उपस्थित नहीं। फिलवाये
 के बाद वादीगण व वादीगण वादीगण
 उत्तरवाक आगे चलाने में रुक गयी।
 अतः मु. नं० 137/07 दाय्य मजदारी के
 लक्षण लक्षण अदालत छोपरी व अदालत छोपरी
 स्थापित किया जाता है। पक्षों की फिलवाये
 के बाद वकील उपस्थित नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौर सिटी (कॉलोनी)